तारीख	प्रकरण संख्या 248/2018 जीसीएमएस नम्बर 2018/00312 अनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम नथाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/11/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 82 के तहत पेश किया गया है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में धारा 82 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत रेफरेन्स कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्णय एवं राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी ओदश/निर्देशों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेन्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है वह निम्नानुसार है – "Where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows" उक्तानुसार जलाशय, नाला, तालाब, जोहड़ व बांध आदि की जो स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय थी, वह बहाल की जानी है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में जिस नामान्तरकरण आदेश कों चुनौती दी गई है उसमें अप्रार्थी को जैर आराजी में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार भी ग्राम गुड़ा भोपा में अप्रार्थी नाथाराम को आवंटित की गयी थी तथा अप्रार्थी पिछले 15–20 वर्षों से गुजरात निवासरत है, जिस कारण जैर आराजी पर न तो अप्रार्थी का कब्जा है और न ही उनके द्वारा काश्त की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम गुड़ाभोपा तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के अनुसार खसरा सख्या 356 रकबा 0.7589 किस्म बारानी सोयम भूमि में अप्रार्थी बतौर गैर खातेदार दर्ज है। साथ ही समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी यह जाहिर नहीं होता है कि जैर आराजी डोली भूमि अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है, प्रतिबंधित भूमि हो। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज यथा आवंटन आदेश की प्रति, जमाबन्दी, नामान्तरकरण एवं मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा जैर प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को खारिज करवाने हेतु पेश किया गया था, जिस बाबत् प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में पेश किया जाना था परन्तु प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत पेश किया है, जो विधिविरूद्ध है। साथ ही प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जैर रेफरेन्स नदी, नाला अथवा डोली भूमि, किस बाबत् पेश किया है। इस स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। उपरोक्तानुसार हम अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को रेफरेन्स किये जाने के लिए कोई ठोस एवं विधिक आधार नहीं पाते है।	

Scanned with ACE Scanner

तारीख	प्रकरण संख्या 248/2018 जीसीएमएस नम्बर 2018/00312 अनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम नथाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत जैर प्रार्थना पत्र सुसंगत धारा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान मौका की जांच करे कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 रेफरेन्स अथवा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) योग्य पाया जाता है, तो नये सिरे से प्रार्थना पत्र सुसंगत धारा में यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे, साथ में अप्रार्थी के वर्तमान में जीवित होने के सम्बन्ध में जांच करे। यदि आवंटी फौत हो चुका है तो, उसके कायम मुकाम को पक्षकार बनाया जावे। आदेशिका की सत्यप्रति तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को भिजवायी जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	

Scanned with ACE Scanner